न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/137/2018

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री कृष्ण कुमार यादव पुत्र धर्मवीर यादव, निवासी चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– **27–11–2018**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 24.07.18 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉंछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.11.2018 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2391 दिनांक 19.11.18 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 24.07.18 के माध्यम से वांछित जानकारी/सूचना में संबंधित ग्राम, तहसील का नाम अंकित नही होने व पूर्व प्रा0पत्रों की प्रति संलग्न कर उपलब्ध नही कराये जाने के कारण कार्यालय के पत्रांक 2114 दिनांक 12.09.18 के माध्यम से पूर्व विशिष्टियों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया किन्तु अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध नही कराई गई है। पूर्ण विवरण के अभाव में किसी प्रकार की सूचना जारी किया जाना संभव नहीं। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज **दिनांक 27.11.2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर